[2012] 7 एस. सी. आर. 251

कविता सोलुंके

बनाम

महाराष्ट्र राज्य और अन्य

(2012 की सिविल अपील सं. 5821)

9 अगस्त, 2012

[टी. एस. ठाकुर और फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला, जे. जे.]

सेवा कानून-अनुसूचित जनजाति श्रेणी में नियुक्ति-सेवा में बने रहने का संरक्षण-महाराष्ट्र के सहायता प्राप्त स्कूल में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित शिक्षक के पद पर अपीलार्थी की नियुक्ति - अपीलार्थी ने 'हलबा' अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने का दावा किया था-10 साल बाद, अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जांच समिति द्वारा सत्यापित अपीलार्थी की जाति प्रमाण-पत्र-अपीलार्थी के स्कूल रिकॉर्ड से पता चला कि

अपीलार्थी का पिता एक 'कोष्ठी' था जिसे महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी-जांच समिति ने घोषणा की कि अपीलार्थी एक 'कोष्ठी' था न कि 'हलबा'-स्कूल प्राधिकरण द्वारा सेवा से अपीलार्थी की परिणामी समाप्ति - चुनौती-अपीलार्थी ने तर्क दिया कि उसकी नियुक्ति को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता था

और जब उसे जांच समिति द्वारा 'हलबा' नहीं बल्कि 'कोष्ठी' पाया गया, तब भी वह सेवा में बने रहने के संरक्षण की हकदार थी - मिलिंद के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले पर अपीलार्थी द्वारा रिलायंस रखा गया - आयोजितः सर्वोच्च न्यायालय ने मिलिंद के मामले में इस तथ्य पर ध्यान दिया था कि नियुक्तियां और प्रवेश लंबे समय से 'कोष्ठी' को अनुसूचित जनजाति के रूप में मानते हुए किए गए थे और निर्देश दिया था कि ऐसे प्रवेश और नियुक्तियां जहां भी वे अंतिम रूप से प्राप्त कर चुके हैं, प्रभावित नहीं होंगे-'हलबा-कोष्ठी' को अपीलार्थी के शिक्षक के रूप में सेवा में शामिल होने से पहले ही 'हलबा' के रूप में माना गया था-इसके अलावा, अपीलार्थी ने एक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के मामले में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जनजाति होने के विवरणों को गढ़ा या गलत नहीं किया था-कोई कारण नहीं कि सेवा से निष्कासन के खिलाफ संरक्षण का लाभ अपीलार्थी को सामान्य शर्त के अधीन क्यों नहीं दिया जाना चाहिए कि उसे पहले ही हटा दिया गया है-हालांकि, उस अवधि के लिए अपीलार्थी ने संस्थान (सहायता प्राप्त स्कूल) की सेवा नहीं की थी, वह किसी भी वेतन/वेतन का दावा करने का हकदार नहीं होगी - संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950-भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 341 और 342।

'हलबा' अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने का दावा करते हुए, अपीलार्थी ने अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए शिक्षक के एक आरक्षित पद के खिलाफ महाराष्ट्र के डोंगांव में एक सहायता प्राप्त स्कूल में आवेदन किया। उन्हें उक्त पद पर नियुक्त किया गया था और नियत समय में सेवा में पुष्टि की गई थी। उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के एक दशक बाद, अपीलार्थी

की जातिगत साख को अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जांच समिति द्वारा सत्यापित किया गया था। जाँच के दौरान, अपीलार्थी के स्कूल रिकॉर्ड को देखा गया, जिससे पता चला कि अपीलार्थी के पिता जाति के आधार पर एक 'कोष्ठी' थे, जिसे महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। समिति ने घोषणा की कि अपीलार्थी एक 'कोष्ठी' थी न कि 'हलबा' और तदनुसार उसका जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया। इसके कारण विद्यालय ने एक आदेश पारित किया जिसके तहत अपीलार्थी की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया। पीड़ित, अपीलार्थी ने स्कूल ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर की जिसे खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी ने तब एक रिट याचिका दायर की जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।

तत्काल अपील में, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि उसकी नियुक्ति को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता था और जब उसे जांच समिति द्वारा 'हलबा' नहीं बल्कि 'कोष्ठी' पाया गया, तब भी वह सेवा में बने रहने के संरक्षण की हकदार थी। इस संबंध में, उन्होंने मिलिंद के मामले में इस अदालत की संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा किया। अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने कहाः

1.1. मिलिंद के मामले में, इस न्यायालय की संविधान पीठ इस बात की जांच कर रही थी कि क्या संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में दिखाई देने वाले हलबा/हलबी के अर्थ के भीतर कोष्ठी एक उप-जनजाति थी। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय इस प्रश्न पर विचार करते समय अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सकते हैं और न ही करना चाहिए कि क्या कोई विशेष जाति या उप-जाति,

जनजाति या उप-जनजाति अनुच्छेद 341 और 342 के तहत जारी राष्ट्रपति के आदेशों में उल्लिखित प्रविष्टियों में से किसी एक में शामिल है।

इस न्यायालय ने घोषणा की कि यह तय करने या घोषित करने के लिए कि क्या कोई जनजाति या जनजातीय समुदाय या उसका हिस्सा या कोई समूह या समूह का हिस्सा सामान्य नाम में शामिल है, चाहे वह संबंधित प्रविष्टि में विशेष रूप से नहीं पाया गया हो, किसी भी साक्ष्य की जांच या प्रस्तुति की अनुमति नहीं होगी और राष्ट्रपति के आदेश को वैसा ही पढ़ा जाना चाहिए जैसा वह है। ऐसा कहने के बाद, इस न्यायालय ने 'हलबा-कोष्ठी' के मुद्दे पर सरकार द्वारा समय-समय पर लिए गए रुख और परिपत्रों, संकल्पों, निर्देशों पर ध्यान दिया, लेकिन यह अभिनिर्धारित किया कि भले ही उक्त परिपत्रों, निर्देशों में 'हलबा-कोष्ठी' के संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर लिए गए अलग-अलग रुख दिखाए गए थे, फिर भी उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की गई न्यायिक समीक्षा की शक्ति का विस्तार उसके समक्ष उचित और स्वीकार्य साक्ष्य के आधार पर तैयार किए गए सक्षम अधिकारियों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने तक नहीं था।

समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी परिपत्रों, संकल्पों और आदेशों से उत्पन्न स्थिति के बावजूद, इस न्यायालय ने कानून के एक अमूर्त सिद्धांत पर यह अभिनिर्धारित किया कि इस प्रश्न की जांच कि क्या 'हलबा कोष्ठी' राष्ट्रपति के आदेश के अर्थ के भीतर हलबा थी, कानूनी रूप से अनुमत नहीं था। [पैरा 6,8,9 और 11 [259- एच; 260-ए-एफ, जी-एच; 261-ए-सी; 264-ई-एफ]

1.2. मिलिंद के मामले में संविधान पीठ ने उस पृष्ठभूमि पर ध्यान दिया जिसमें कई वर्षों से भ्रम व्याप्त था और इस तथ्य पर ध्यान दिया कि नियुक्तियां और प्रवेश लंबे समय से 'कोष्ठी' को अनुसूचित जनजाति के रूप में मानते हुए किए गए थे और निर्देश दिया था कि जहां भी इस तरह के प्रवेश और नियुक्तियां अंतिमता प्राप्त कर चुकी हैं, वे इस न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय से प्रभावित नहीं होंगी। मिलिंद के मामले में फैसला सुनाए जाने के बाद, इस अदालत की एक खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए मामलों के एक समूह को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था।

डिवीजन बेंच ने अंततः मिलिंद के मामले में इस अदालत द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के अधिकार पर कुछ प्रतिवादियों को निष्कासन के खिलाफ संरक्षण का लाभ देते हुए ओम राज के मामले में उन मामलों का फैसला किया। इनमें से एक मामला 'हलबा/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित रिक्ति के खिलाफ सहायक अभियंता के रूप में' कोष्ठी 'की नियुक्ति से संबंधित है। इस अदालत ने उक्त उम्मीदवार को निष्कासन के खिलाफ संरक्षण का लाभ दिया। यदि 'हलबा-कोष्ठी' को अपीलार्थी के शिक्षक के रूप में सेवा में शामिल होने से पहले ही 'हलबा' माना गया है और यदि उसके निष्कासन का एकमात्र कारण मिलिंद के मामले में इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस न्यायालय द्वारा उन नियुक्तियों को दिए गए निष्कासन के खिलाफ संरक्षण, जिनके आवेदन अंतिम हो गए थे, अपीलार्थी को भी नहीं दिया जाना चाहिए। [पैरा 13] [265-एफ-एच]

1.3. यह अभिनिर्धारित करने का कोई कारण नहीं है कि अपीलार्थी ने केवल शिक्षक के रूप में नियुक्ति के मामले में अनुचित लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति होने के विवरणों को गढ़ा या गलत साबित किया था। इसलिए, ऐसा कोई कारण नहीं है कि निष्कासन के विरुद्ध संरक्षण का लाभ सामान्य शर्त के अधीन रहते हुए उसे नहीं दिया जाना चाहिए कि अपीलार्थी को सेवा से निष्कासित नहीं किया जाएगा और यदि पहले ही निष्कासित किया जा चुका है तो उसे बहाल किया जाएगा, लेकिन वह उस प्रमाणपत्र के आधार पर किसी और लाभ की हकदार नहीं होगी जो उसने प्राप्त किया है और जो जांच समिति द्वारा इसके जारी होने के 10 वर्ष बाद रद्द कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी को ऊपर उल्लिखित शर्त के अधीन सेवा में बहाल किया जाए। यह भी निर्देश दिया जाता है कि जिस अवधि के लिए अपीलार्थी ने उस संस्था की सेवा नहीं की है जो एक सहायता प्राप्त विद्यालय है, वह किसी भी वेतन/वापस मजदूरी का दावा करने का हकदार नहीं होगा। हालाँकि, वह अन्य सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए लगातार सेवा करने की हकदार होगी। [पैरा 16,17][268-F-H; 269-A-B]

ए. एन. एल. महाप्रबंधक/मानव संसाधन भेल बनाम सुरेश रामकृष्ण बर्डे (2007) 5 एससीसी 336:2007 (6) एससीआर 388-प्रतिष्ठित। महाराष्ट्र राज्य बनाम एमआई/इंड (2001) 1 एस. सी. सी. 4:2000 (5) पूरक। एससीआर 65; महाराष्ट्र राज्य बनाम ओम राज (2007) 14 एससीसी 488 ; महाराष्ट्र राज्य बनाम संजय के. निमजे (2007) 14 एससीसी 481:2007 (1)

एससीआर 960 और पंजाब नेशनल बैंक बनाम विलास (2008) 14 एससीसी 545-संदर्भित।

आर. विश्वनाथ पिल्लई बनाम केरा राज्य/ए (2004) 2 एससीसी 105:2004 (1) एससीआर 360 ; बैंक ऑफ इंडिया बनाम अविनाश डी मांडवीकर (2005) 7 एस. सी. सी. 690:2005 (3) पूरक। एससीआर 170 और भारत संघ बनाम दत्तात्रेय (2008) 4 एससीसी 612:2008 (2) एससीआर 1096-उद्धृत।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 2012 का 5821

डब्लू.पी. नं . 2008 का 1810 में नागपुर में बॉम्बे उच्च न्यायालय के 28.4.2008 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से गगन सांघी, रामेश्वर प्रसाद गोयल।

ए.के. संघी, माधवी दीवान, संजय खारडे, आशा गोपालन नायर, शिवाजी एम. जाधव, अनीश आर. शाह, एस.के. जैन, प्रीति कुंवर, सर्वप्रीत सिंह उत्तरदाताओं के लिए ।

न्यायालय का निर्णय दिया गया था:

टी.एस . ठाकुर, जे.- अनुमति दे दी गई। बॉम्बे के उच्च न्यायालय ने [कविता बनाम महाराष्ट्र राज्य, डब्ल्यू. पी. नं. 2008 का 1810,28-4-2008 (बम) को निर्णय लिया गया, रिट याचिका सं. अपीलार्थी ने 2008 के 1810 में अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जांच समिति, अमरावती द्वारा पारित दिनांक 20-2-2008 के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। समिति ने बदले में घोषणा की

थी कि अपीलार्थी जाति से "कोष्ठी" था न कि "हलबा" जो एक अधिसूचित अनुसूचित जनजाति है।

वर्तमान अपील को जन्म देने वाले तथ्य एक संकीर्ण दिशा में निहित हैं और इन्हें संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैः श्री शिवाजी हाई स्कूल, डोंगांव, जिसमें से प्रतिवादी 5 हेडमास्टर हैं, ने उक्त स्कूल में शिक्षकों के तीन रिक्त पदों के खिलाफ दिनांक 20-7-1995 के विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन दोनों पदों में से एक-एक पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित था। तीसरा पद स्पष्ट रूप से खुली श्रेणी में था और इसके लिए बी. पी. एड. की न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता थी, जो यहां अपीलार्थी के पास नहीं थी। "हलबा" होने का दावा करने वाले अपीलार्थी ने अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित एकल पद के लिए आवेदन किया था और 1-8-1995 से प्रभावी 1200-2040 रुपये के वेतनमान में निम्न श्रेणी के सह-शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। यह नियुक्ति दो वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए परिवीक्षाधीन थी जिसे जिला परिषद शिक्षा अधिकारी द्वारा उनके दिनांक 12-7-1996 के आदेश के संदर्भ में विधिवत अनुमोदित किया गया था। यह विवाद में नहीं है कि अपीलार्थी ने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक रूप से पूरी की और नियत समय में सहायक शिक्षक के रूप में सेवा में पुष्टि की गई।

उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के एक दशक बाद, प्रतिवादी 5 ने अपीलार्थी को अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जांच समिति से उनकी जाति प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कराने के लिए कहा। अपीलार्थी ने उक्त निर्देश का अनुपालन किया और संबंधित समिति को अपना

प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया, जिसने इसे उचित सतर्कता जांच के लिए अग्रेषित किया। उक्त जांच के दौरान, अपीलार्थी के स्कूल रिकॉर्ड की भी जांच की गई, जिससे पता चला कि अपीलार्थी के पिता जाति के आधार पर "कोष्ठी" थे, जो महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति नहीं थी।

अतः समिति ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी का जाति प्रमाणपत्र अमान्य था और तदनुसार उसे रद्द कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप विद्यालय ने दिनांक 23-2-2008 का आदेश पारित किया जिसके द्वारा अपीलार्थी की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया। समाप्ति आदेश में कहा गया हैः

> ***उन्होंने कहा, "आपको अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित पद पर नियुक्त किया गया था। नियुक्ति के समय आपने एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जो दर्शाता है कि आप अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से संबंधित हैं। इसके बाद उक्त प्रमाणपत्र को जाति जांच समिति को सत्यापन के लिए भेजा गया। उक्त समिति ने सुनवाई का अवसर देने और साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद जांच का निर्णय लिया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आप उस श्रेणी से संबंधित नहीं हैं जैसा कि आपके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में उल्लेख किया गया है और परिणामस्वरूप आपके द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र को अमान्य कर दिया। आप इस पद पर बने रहने के हकदार नहीं हैं क्योंकि यह पद अनुसूचित जनजाति समुदाय के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है।***

उपर्युक्त से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने महाराष्ट्र निजी विद्यालय कर्मचारी (सेवा की शर्तें) विनियमन अधिनियम, 1977 की धारा 9 के अधीन स्कूल अधिकरण के समक्ष अपील दायर की, जो विफल रही और अधिकरण द्वारा दिनांक 25-9-2008 के अपने आदेश द्वारा खारिज कर दी गई। अपीलार्थी ने तब नागपुर उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जांच समिति द्वारा उसके जाति के दावे को अमान्य करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखा और आदेश द्वारा उक्त याचिका को खारिज कर दिया [कविता बनाम महाराष्ट्र राज्य, डब्ल्यूपी नं। 2008 का 1810,28-4-2008 को तय किया गया (बम)] हमारे सामने आरोपित। उच्च न्यायालय ने कहाः

> ***अदालत ने कहा, "न तो याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से और न ही अपने एजेंट के माध्यम से जाति जांच समिति के समक्ष पेश हुई और न ही सतर्कता प्रकोष्ठ की जांच रिपोर्ट का कोई जवाब दिया। जाति जांच समिति के आदेश के अवलोकन से आगे पता चलता है कि सतर्कता प्रकोष्ठ ने दिनांक 18-10-1956 यानी i.e. याचिकाकर्ता के पिता के संबंध में स्कूल प्रविष्टि का उद्धरण, जिसमें याचिकाकर्ता के पिता की जाति का उल्लेख 'कोष्टि' के रूप में किया गया था। इसी तरह, सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा एकत्र किए गए एक अन्य दस्तावेज से पता चलता है कि याचिकाकर्ता 'हलबा' अनुसूचित जनजाति से***

संबंधित नहीं है। याचिकाकर्ता 'हलबा' अनुसूचित जनजाति के साथ संबंध स्थापित करने में भी विफल रहा। इन परिस्थितियों में, जाति जांच समिति द्वारा लिया गया निष्कर्ष न्यायसंगत और उचित है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

वर्तमान अपील उपरोक्त आदेश की शुद्धता पर जोर देती है जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने हमारे सामने एक संक्षिप्त मुद्दा उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलार्थी की नियुक्ति को इस आधार पर दरकिनार नहीं किया जा सकता था कि कोष्टि-हलबा अनुसूचित जनजाति के रूप में आरक्षण के लाभ के हकदार "हलबा" नहीं थे। महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद [(2001) 1 एस. सी. सी. 4:2001 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 117] में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय पर भरोसा करते हुए, विद्वत वकील द्वारा यह आग्रह किया गया था कि अपीलार्थी सेवा में बने रहने के संरक्षण का हकदार था, कोई बात नहीं कि "हलबा-कोश्तियों" को इस न्यायालय द्वारा "हलबास" के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। विद्वान वकील के अनुसार, उच्च न्यायालय ने मिलिंद मामले [(2001) 1 एससीसी 4:2001 एससीसी (एल एंड एस) 117] में इस न्यायालय के निर्णय की सही ढंग से सराहना नहीं की थी और इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने में त्रुटि हुई थी।

विद्वान वकील ने भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक

10-8-2010 को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन पर भी भरोसा जताया, जिसके तहत अनुसूचित जनजाति श्रेणी में नियुक्त लोगों के निष्कासन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की गई थी। यह भी आग्रह किया गया कि उक्त बाद के विकास पर भरोसा करते हुए, इस न्यायालय ने अपीलार्थी के समान रखे गए उम्मीदवार राजू गाडेकर को उच्च न्यायालय के समक्ष एक उपयुक्त आवेदन दायर करके परिपत्र के तहत लाभ लेने की अनुमति दी थी। विद्वान वकील के अनुसार अपीलार्थी के मामले में अलग दृष्टिकोण रखने का कोई कारण नहीं था, विशेष रूप से जब इस न्यायालय ने मिलिंद मामले [(2001) 1 एससीसी 4:2001 एससीसी (एल एंड एस) 117] में बाद के निर्णयों का पालन किया, अनुसूचित जनजाति श्रेणी में नियुक्त लोगों को जाति द्वारा "कोष्टि-हलबा" के रूप में नियुक्त व्यक्तियों को दिखाने वाले प्रमाण पत्रों के आधार पर सेवा से निष्कासन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की।

प्रत्यर्थी की ओर से, यह आग्रह किया गया था कि मिलिंद मामले [(2001) 1 एससीसी 4:2001 एससीसी (एल एंड एस) 117] में इस न्यायालय का निर्णय मामले के तथ्यों से अलग था क्योंकि वह मामला एक पेशेवर पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित था न कि किसी सार्वजनिक पद पर नियुक्ति से। आगे यह तर्क दिया गया कि मिलिंद मामले [(2001) 1 एससीसी 4:2001 एससीसी (एल एंड एस) 117] में इस न्यायालय के निर्णय को इस न्यायालय द्वारा बाद के निर्णयों में समझाया गया था, जिसमें आर विश्वनाथ पिल्लई बनाम केरल राज्य [(2004) 2 एससीसी 105:2004 एससीसी (एल एंड एस) 350], महाराष्ट्र राज्य बनाम संजय के. निमजे [(2007) 14 एससीसी 481: (2009) 1 एससीसी (एल एंड एस) 519], बैंक ऑफ इंडिया बनाम अविनाश डी. मंडिविकर [(2005) 7 एससीसी

690:2005 एससीसी (एल एंड एस) 1011] और भारत संघ बनाम दत्तात्रेय [2008) 4 एससीसी 612:2008 2 एससीसी (एल एंड एस) 6] शामिल हैं। और लाभ केवल उन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश से उत्पन्न होने वाले मामलों तक सीमित है जहां उम्मीदवारों ने पहले ही पाठ्यक्रम पूरा कर लिया था और उनके निष्कासन का परिणाम किसी को भी कोई लाभ नहीं होगा।

मिलिंद मामले में [(2001) 1 एस. सी. सी. 4:2001 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 117] इस न्यायालय की संविधान पीठ इस बात की जांच कर रही थी कि क्या संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में उल्लिखित हलबा/हलबी के अर्थ के भीतर कोष्टि एक उप-जनजाति थी। उस मामले में प्रत्यर्थी ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट से इस आशय का जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया था कि वह "हलबा" अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। उन्हें सत्र 1985-1986 के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस डिग्री पाठ्यक्रम में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीट पर नियुक्ति के लिए चुना गया था। प्रत्यर्थी मिलिंद द्वारा भरोसा किया गया प्रमाण पत्र जांच समिति को भेजा गया था, समिति ने इस आशय की जांच के बाद एक निष्कर्ष दर्ज किया कि प्रत्यर्थी अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं था। उक्त आदेश के खिलाफ एक अपील में, अपीलीय प्राधिकरण ने समिति द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की और घोषित किया कि प्रतिवादी मिलिंद "कोष्ठी जाति" से संबंधित है न कि "हलबा जाति" अनुसूचित जनजाति से।

मिलिंद द्वारा उक्त आदेश के खिलाफ दायर एक रिट याचिका में, उच्च न्यायालय ने कहा कि यह जांच करने की अनुमति है कि

क्या किसी जनजाति का कोई उप-विभाजन उसमें उल्लिखित जनजाति का एक हिस्सा और पार्सल था और क्या "हलबा-कोष्ठी" संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में प्रविष्टि 19 के अर्थ के भीतर मुख्य जनजाति "हलबा" का एक उप-विभाजन था। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि हलबा-कोष्ठी वास्तव में राष्ट्रपति के आदेश में उपस्थित हलबा की एक उप-जनजाति थी।

उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध दायर अपील में, मिलिंद मामले [(2001) 1 एससीसी 4:2001 एससीसी (एल एंड एस) 117] में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय इस प्रश्न पर विचार करते समय अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सकते हैं और न ही करना चाहिए कि क्या कोई विशेष जाति या उप-जाति, जनजाति या उप-जनजाति अनुच्छेद 341 और 342 के अधीन जारी राष्ट्रपति के आदेशों में उल्लिखित प्रविष्टियों में से किसी एक में शामिल है। राज्य सरकार या अदालतों या अन्य प्राधिकरणों या न्यायाधिकरणों को इस बात की जांच करने की अनुमति देना कि क्या किसी विशेष जाति या जनजाति को राष्ट्रपति के आदेश की अनुसूची में शामिल माना जाना चाहिए, जब इसे इतना विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है, तो इससे समस्याएं पैदा होंगी। इस न्यायालय ने घोषणा की कि यह तय करने या घोषित करने के लिए कि क्या कोई जनजाति या जनजातीय समुदाय या उसका हिस्सा या कोई समूह या समूह का हिस्सा सामान्य नाम में शामिल है, चाहे वह संबंधित प्रविष्टि में विशेष रूप से नहीं पाया गया हो, किसी भी साक्ष्य की जांच या प्रस्तुति की अनुमति नहीं होगी और राष्ट्रपति के आदेश को वैसा ही पढ़ा जाना चाहिए जैसा वह है।

ऐसा कहने के बाद, इस न्यायालय ने "हलबा-कोष्ठी" के मुद्दे पर सरकार द्वारा समय-समय पर लिए गए रुख और परिपत्रों, प्रस्तावों, निर्देशों पर ध्यान दिया, लेकिन यह अभिनिर्धारित किया कि भले ही उक्त परिपत्रों, निर्देशों में "हलबा-कोष्ठी" के संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर लिए गए अलग-अलग रुख दिखाए गए थे, फिर भी उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की गई न्यायिक समीक्षा की शक्ति का विस्तार उसके समक्ष उचित और स्वीकार्य साक्ष्य के आधार पर तैयार किए गए सक्षम अधिकारियों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने तक नहीं था। इस न्यायालय ने कहाः (मिलिंद मामला [(2001) 1 एससीसी 4:2001 एससीसी (एल एंड एस) 117], एससीसी पीपी। 29-30, पैरा 33)

> ***"33. संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 की भाषा पर विचार करते हुए, इस प्रश्न पर विचार करते समय कि क्या कोई विशेष जाति या जनजाति अधिसूचित राष्ट्रपति आदेश के दायरे में आएगी, उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बहुत अधिक प्रतिबंधित होगा। ये पैरामीटर होने के कारण और मामले में जांच करने वाली समिति के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकरण ने सभी प्रासंगिक सामग्रियों की जांच की और यह निष्कर्ष दर्ज किया कि प्रतिवादी 1 'कोष्ठी' जाति का था और 'हलबा/हलबी' के साथ उसकी कोई पहचान नहीं है, जो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित राष्ट्रपति आदेश की प्रविष्टि 19 के तहत अनुसूचित जनजाति है, उच्च न्यायालय ने सामग्री की नए सिरे से और गहराई से जांच***

करके और इस निष्कर्ष पर पहुँचकर कि 'कोश्तियों' को 'हलबा' माना जा सकता है, अपने पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया। इस दृष्टिकोण से उच्च न्यायालय अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए तथ्य के निष्कर्ष को प्रभावित नहीं कर सका।

महत्वपूर्ण बात यह है कि इस न्यायालय ने "हलबा-कोष्ठी" के अनुसूचित जनजाति होने के प्रश्न पर विभिन्न परिपत्रों और निर्देशों से उत्पन्न होने वाले प्रचलित भ्रम को देखा। उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से निपटने और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों, निर्देशों और प्रस्तावों का उल्लेख करते हुए, इस न्यायालय ने कहाः (मिलिंद मामला [(2001) 1 एससीसी 4:2001 एससीसी (एल एंड एस) 117], एससीसी पीपी। 27-28 और 31, पैरा 33 और 38)

"33. उच्च न्यायालय ने पैरा 20 से 23 में 'हलबा-कोश्तियों' के मुद्दे पर सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/संकल्पों/निर्देशों/आदेशों पर विचार किया। उक्त फैसले में कहा गया है कि विदर्भ के निर्दिष्ट क्षेत्रों में 20-7-1962 तक 'हलबा-कोस्तियों' को 'हलबा' माना जाता था। महाराष्ट्र सरकार, शिक्षा और समाज कल्याण विभाग ने सर्कुलर नं. CBC-1462/3073/M इस आशय के लिए कि 'हलबा-कोष्ठी' अनुसूचित जनजाति नहीं थे और वे 'हलबा/हलबी' से भिन्न हैं। उक्त परिपत्र में यह भी कहा गया है कि 'हलबा'

जनजाति से संबंधित कुछ व्यक्ति अनुचित लाभ उठा रहे हैं और जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि 'हलबा-कोष्ठी' या 'कोष्ठी' समुदाय से संबंधित किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति का सदस्य घोषित करने वाला प्रमाण पत्र न दिया जाए। 22-8-1967 को 20-7-1962 का उपर्युक्त परिपत्र वापस ले लिया गया। अजीब बात है कि 27-9-1967 को एक और सर्कुलर नं. सीबीसी-1466/9183/एम जारी किया गया था जिसमें 'हलबा-कोष्ठी' को 'हलबा' मानने का इरादा दिखाया गया था। दिनांक 30-5-1968 को पत्र सं. CBC-1468-2027-O, राज्य सरकार ने लोकसभा में उप सचिव को सूचित किया कि 'हलबा-कोष्ठी' 'हलबा/हलबी' है और इसे विशेष रूप से प्रस्तावित संशोधन अधिनियम में शामिल किया जाना चाहिए। पत्र सं. 29-7-1968 द्वारा महाराष्ट्र सरकार। ईबीसी-1060/49321-जे-76325 ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त को सूचित किया कि 'हलबा-कोष्ठी' समुदाय को राज्य में अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है और उस समुदाय के छात्र भारत सरकार की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। 1-1-1969 को समाज कल्याण निदेशक, जनजातीय अनुसंधान संस्थान, पुणे, अपने पत्र सं। टीआरआई/आई/एच. के./68-69 में

कहा गया है कि राज्य सरकार कानून में अनुसूचित जनजाति आदेश में संशोधन नहीं कर सकती है और एक जनजाति जो विशेष रूप से शामिल नहीं है, उसे अनुसूचित जनजाति के रूप में नहीं माना जा सकता है। इस दृष्टिकोण से निदेशक ने स्पष्टीकरण मांगा। भारत सरकार ने 21-4-1969 को राज्य सरकार को लिखा कि बसावलिंगप्पा मामले को देखते हुए [बी. बसावलिंगप्पा बनाम डी. म्यूनिचिन्नाप्पा, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1269] 'हलबा-कोष्टि' समुदाय को केवल तभी अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जा सकता है जब इसे अनुसूचित जनजाति आदेश में एक उप-जनजाति के रूप में सूची में जोड़ा जाए और अन्यथा नहीं। इसके बाद, राज्य सरकार द्वारा 24-10-1969 और 6-11-1974 के बीच 'हलबा-कोश्तियों' को 'हलबा' के रूप में मान्यता देने के लिए कुछ और परिपत्र जारी किए गए और संकेत दिया गया कि प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कौन सक्षम अधिकारी थे और जांच के लिए दिशानिर्देश दिए गए थे। राज्य सरकार की नीति में एक बार फिर एक गोपनीय पत्र नं. सीबीसी-1076/1314/डेस्क-V दिनांक 18-1-1977। सरकार ने नागपुर के जिला मजिस्ट्रेट को सूचित किया कि 'हलबा-कोश्तियों' को 'हलबा' जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद, फैसले के पैरा 22 में

निर्दिष्ट कुछ और परिपत्र जारी किए गए। उन लोगों को फिर से संदर्भित करना आवश्यक नहीं हो सकता है, सिवाय परिपत्र दिनांक 31-7-1981 के जिसमें सं. सीबीसी-1481/(703)/डी.वी. जिसके द्वारा सरकार ने निर्देश दिया कि जहां तक 'हलबास' का संबंध है, अगले आदेश तक स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जाति के उद्देश्य के लिए मान्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। देखें अनुसूचित जनजातियों के जाति प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए दिनांक 23-1-1985 को एक नई जांच समिति नियुक्त की गई। उच्च न्यायालय ने फैसले के पैरा 23 में कहा था कि पहले जारी किए गए कई परिपत्रों को वापस ले लिया गया था, लेकिन उक्त परिपत्र दिनांक 31-7-1981 को वापस नहीं लिया गया था। पहली बार 8-3-1985 को जांच समिति को जांच करने के लिए प्राधिकृत किया गया था यदि यह विश्वास करने का कोई कारण था कि प्रमाणपत्र में हेरफेर किया गया था या मनगढ़ंत था या अपर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करके प्राप्त किया गया था। इन परिपत्रों/संकल्पों का उल्लेख करते हुए उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि प्रत्यर्थी 1 को जारी जाति प्रमाणपत्र को वैध माना जा सकता है और 8-3-1985 तक जांच परिपत्र दिनांक 31-7-1981 द्वारा शासित थी। उच्च न्यायालय 'हलबा-कोष्ठी' के मुद्दे पर समय-समय पर राज्य

सरकार के रुख पर विचार करता है और प्रत्यर्थी 1 के पक्ष में इस आधार पर आयोजित परिपत्रों/प्रस्तावों/निर्देशों का भी उल्लेख करता है कि अपीलार्थी अपने स्वयं के परिपत्रों/आदेशों से बाध्य था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सच है कि 'हलबा-कोष्ठी' से संबंधित विवाद के बारे में अपीलार्थी का रुख समय-समय पर बदलता रहा है, लेकिन हमने प्रश्न 1 पर विचार किया है कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र/संकल्प/निर्देश, कभी-कभी केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत, कोई परिणाम नहीं देते हैं। उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता था क्योंकि राज्य सरकार के पास अनुसूचित जनजाति आदेश में संशोधन या परिवर्तन करने का न तो अधिकार था और न ही क्षमता।

38. लेकिन हम यह स्पष्ट करते हैं कि वह अनुसूचित जनजाति आदेश द्वारा कवर की गई अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में, वह आगे या किसी अन्य संवैधानिक उद्देश्य के लिए अनुसूचित जनजाति आदेश का लाभ नहीं उठा सकता है। समय के बीतने को ध्यान में रखते हुए, दी गई परिस्थितियों में, इस न्यायालय द्वारा एसएलपी (सी) सं। 1985 का 16372 और अन्य संबंधित मामलों में, हम यह स्पष्ट

करते हैं कि जो प्रवेश और नियुक्तियां अंतिम हो गई हैं, वे इस निर्णय से अप्रभावित रहेंगी।

उपर्युक्त को ध्यानपूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि मिलिंद मामले [(2001) 1 एस. सी. सी. 4:2001 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 117] में उच्च न्यायालय और यह न्यायालय दोनों इस विषय पर हुए विकास से अवगत थे कि क्या "हलबा-कोष्ठी" राष्ट्रपति के आदेश के अर्थ के भीतर " हलबा" हैं। समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए उक्त परिपत्रों, प्रस्तावों और आदेशों से उत्पन्न स्थिति के बावजूद, इस न्यायालय ने कानून के एक अमूर्त सिद्धांत पर यह निर्णय दिया कि इस प्रश्न की जांच कि क्या "हलबा-कोष्ठी" राष्ट्रपति के आदेश के अर्थ के भीतर हलबा थे, कानूनी रूप से अनुमत नहीं था।

हमारे समक्ष अपीलार्थी यह तर्क देने के लिए ऊपर निकाले गए अंश पर भरोसा करता है कि उसकी नियुक्ति मिलिंद मामले [(2001) 1 एस. सी. सी. 4:2001 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 117] में इस न्यायालय के निर्णय के दिए जाने से बहुत पहले ही अंतिमता प्राप्त कर चुकी थी और यहां तक कि जब उसे सत्यापन समिति द्वारा "हलबा" नहीं बल्कि "कोष्ठी" पाया गया था, तब भी वह निष्कासन के खिलाफ संरक्षण की हकदार थी। हम उस विवाद में योग्यता पाते हैं।

यदि "हलबा-कोष्ठी" को अपीलार्थी के शिक्षक के रूप में सेवा में शामिल होने से पहले ही "हलबा" माना गया है और यदि उसके निष्कासन का एकमात्र कारण मिलिंद मामले [(2001) 1 एससीसी 4:2001 एससीसी (एल एंड एस) 117] में इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस न्यायालय

द्वारा उन नियुक्तियों को दिए गए निष्कासन के खिलाफ संरक्षण, जिनके आवेदन अंतिम हो गए थे, अपीलार्थी को भी नहीं दिया जाना चाहिए। संविधान पीठ ने मिलिंद मामले में [(2001) 1 एस. सी. सी. 4:2001 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 117] उस पृष्ठभूमि पर ध्यान दिया जिसमें कई वर्षों से भ्रम व्याप्त था और इस तथ्य पर ध्यान दिया कि नियुक्तियां और प्रवेश लंबे समय से "कोष्टि" को अनुसूचित जनजाति के रूप में मानते हुए किए गए थे और निर्देश दिया कि जहां भी इस तरह के प्रवेश और नियुक्तियां अंतिमता प्राप्त कर चुकी हैं, वे इस न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय से प्रभावित नहीं होंगी।

मिलिंद मामले [(2001) 1 एस. सी. सी. 4:2001 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 117] में निर्णय की घोषणा के बाद, मामलों के एक समूह को इस न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था। डिवीजन बेंच ने अंततः उन मामलों का निर्णय दिनांक 12-12-2000 (महाराष्ट्र राज्य बनाम ओम राज [(2007) 14 एससीसी 488: (2009) 1 एससीसी (एल एंड एस) 526]) के आदेश द्वारा किया, जिसमें मिलिंद मामले [(2001) 1 एससीसी 4:2001 एससीसी (एल एंड एस) 117] में इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के अधिकार पर कुछ प्रतिवादियों को निष्कासन के खिलाफ संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया। इनमें से एक मामला, अर्थात् सिविल अपील नं. 2000 का 7375 [महाराष्ट्र राज्य बनाम विश्वनाथ, सिविल अपील सं। 7375 का 2000 उपनाम महाराष्ट्र राज्य बनाम ओम राज, (2007) 14 एस. सी. सी. 488] हलबा/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित रिक्ति के खिलाफ सहायक अभियंता के रूप में "कोष्टि" की नियुक्ति से संबंधित है। इस न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में पारित एक संक्षिप्त आदेश द्वारा उक्त उम्मीदवार को निष्कासन के

खिलाफ संरक्षण का लाभ भी दियाः (ओम राज मामला [(2007) 14 एससीसी 488: (2009) 1 एससीसी (एल एंड एस) 526], एससीसी पीपी। 489-90, पैरा 4-5)

> ***"4. अनुमति दे दी गई।***
>
> ***5. अपीलार्थी कोष्टि जाति का होने के कारण हलबा की अनुसूचित जनजाति में शामिल होने का दावा करता है और सहायक अभियंता के रूप में नियुक्ति प्राप्त करता है। जब सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति को इस आधार पर समाप्त करने की मांग की गई थी कि वह अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं हैं तो उस आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसकी अनुमति दी गई थी। इस अपील में उस आदेश पर सवाल उठाया गया है। इस मामले में उत्पन्न होने वाले प्रश्न महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद [(2001) 1 एससीसी 4:2001 एससीसी (एल एंड एस) 117] के निर्णय द्वारा कवर किए गए हैं और उन्हें अनुमति दी गई थी, हालांकि, अब तक प्राप्त लाभ अपीलार्थी को इस प्रभाव से उपलब्ध होंगे कि सहायक अभियंता के रूप में उनकी नियुक्ति संरक्षित रहेगी, लेकिन आगे नहीं। अपील का निपटान तदनुसार किया जाता है "।***

पंजाब नेशनल बैंक बनाम विलास [(2008) 14 एससीसी 545: (2009) 2 एससीसी (एल एंड एस) 143] का भी संदर्भ दिया

जा सकता है। वह भी एक प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति का मामला था जिसे बाद में इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि "हलबा कोष्ठी" " हलबा" अनुसूचित जनजाति के समान नहीं थी। उच्च न्यायालय ने पंजाब नेशनल बैंक पर लागू सरकारी प्रस्ताव दिनांक 15-6-1995 के आधार पर प्रभावित उम्मीदवारों की सेवा की समाप्ति को रद्द कर दिया था। उक्त आदेश को बरकरार रखते हुए, H.K. सेमा, जे. ने प्रस्ताव के आधार पर उम्मीदवार को निष्कासन से संरक्षित करने का निर्णय लिया। V.S. तथापि, न्यायमूर्ति सिरपुरकर ने थोड़ा भिन्न दृष्टिकोण अपनाया और अभिनिर्धारित किया कि बैंक द्वारा की गई नियुक्ति अंतिम हो जाने पर मिलिंद मामले [(2001) 1 एस. सी. सी. 4:2001 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 117] में संविधान पीठ के निर्णय के संदर्भ में निष्कासन के विरुद्ध संरक्षित थी। यह सवाल कि क्या सरकारी प्रस्ताव ने उम्मीदवारों को सेवा से बेदखल होने से बचाया था, इस कारण से उनके प्रभु द्वारा खुला छोड़ दिया गया था। उस दृष्टिकोण के समर्थन में रिलायंस को महाराष्ट्र राज्य बनाम विश्वनाथ [महाराष्ट्र राज्य बनाम विश्वनाथ, सिविल अपील सं। 2000 का 7375 उपनाम महाराष्ट्र राज्य बनाम ओम राज, (2007) 14 एस. सी. सी. 488] (रिपोर्ट में गलत तरीके से सिविल अपील सं. 2000 का 3375) ऊपर उल्लिखित है। अदालत ने कहाः (विलास मामला [(2008) 14 एससीसी 545: (2009) 2 एससीसी (एल एंड एस) 143], एससीसी पीपी। 550-51, पैरा 20)

> ***"20. वर्तमान प्रत्यर्थी के मामले में स्थिति अलग नहीं है। उन्हें वर्ष 1989 में उनके जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त और/या पदोन्नत किया गया था, जिसमें उन्हें अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। अंततः, यह***

पाया गया कि चूंकि एक 'कोष्ठी' को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिलता है, इसलिए जाति जांच समिति ने उक्त प्रमाण पत्र को अमान्य कर दिया, जिसमें कहा गया था कि प्रतिवादी कोष्ठी था न कि हलबा। मैं जल्दबाजी में यह कहना चाहूंगा कि जाति जांच समिति के आदेश में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि याचिकाकर्ता के पास प्रमाण पत्र प्राप्त करने में ईमानदारी की कमी थी। मैं यह संजय के. निमजे मामले में पैरा 21 में टिप्पणियों को दूर करने के लिए कहता हूं [(2007) 14 एससीसी 481: (2009) 1 एससीसी (एल एंड एस) 519]। लेकिन यह ऐसा मामला नहीं है जहां प्रत्यर्थी ने दलील दी और ईमानदारी से साबित किया। ऐसी परिस्थितियों में उच्च न्यायालय मिलिंद मामले में की गई टिप्पणियों पर भरोसा करने में पूरी तरह से उचित था [(2001) 1 एससीसी 4:2001 एससीसी (एल एंड एस) 117]। उच्च न्यायालय ने निर्णय और आदेश का उल्लेख नहीं किया है [महाराष्ट्र राज्य बनाम विश्वनाथ, सिविल अपील सं. सिविल अपील सं. 2000 का 7375 उपनाम महाराष्ट्र राज्य बनाम ओम राज, (2007) 14 एससीसी 488]। 2000 का 3375 12-12-2000 को विनिश्चय किया गया था जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। तथापि, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि मिलिंद

मामले [(2001) 1 एस. सी. सी. 4:2001 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 117] में टिप्पणियां वर्तमान प्रत्यर्थी के मामले में लागू होती हैं और वह इस प्रकार संरक्षित है।

बी . एच. ई. एल. बनाम सुरेश रामकृष्ण बर्डे [(2007) 5 एस. सी. सी. 336: (2007) 2 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 152] में इस न्यायालय के निर्णय की ओर प्रत्यर्थियों के वकील द्वारा हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था, जिसमें मिलिंद मामले [(2001) 1 एस. सी. सी. 4:2001 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 117] में निर्णय द्वारा दिए गए निष्कासन के विरुद्ध संरक्षण को प्रतिवादी तक विस्तारित नहीं किया गया था। हालांकि, उक्त निर्णय को पढ़ने से पता चलता है कि तथ्यात्मक मैट्रिक्स में एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसमें उक्त मामला विचार के लिए उत्पन्न हुआ था। बर्डे मामले में [(2007) 5 एससीसी 336: (2007) 2 एससीसी (एल एंड एस) 152], जांच समिति ने पाया था कि जाति प्रमाण पत्र गलत था और इसलिए अमान्य था। मिलिंद मामले [(2001) 1 एससीसी 4:2001 एससीसी (एल एंड एस) 117] में भी यह स्थिति नहीं थी और न ही मामले में यह स्थिति है। मिलिंद मामले में [(2001) 1 एस. सी. सी. 4:2001 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 117], जांच समिति ने कभी भी किसी धोखाधड़ी या किसी भी मनगढ़ंत या किसी भी गलत प्रतिनिधित्व का आरोप नहीं लगाया था जो संभवतः उम्मीदवार को अदालत से राहत पाने के लिए अयोग्य ठहरा सकता था। हाथ में मामले में भी अपीलार्थी के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है कि प्रमाणपत्र झूठा, मनगढ़ंत या छिपाकर या अन्यथा हेरफेर किया गया था। मिलिंद मामले [(2001) 1 एस. सी. सी. 4:2001 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 117] में इस न्यायालय के विनिश्चय से प्रवाहित लाभ से इनकार करना, इसलिए, बर्डे मामले [(2007) 5 एस. सी.

सी. 336: (2007) 2 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 152] में न्यायोचित ठहराया जा सकता है, लेकिन उस मामले में न्यायोचित नहीं हो सकता है जहां अपीलार्थी पर किसी कार्य या चूक या कार्य के किए जाने का आरोप नहीं लगाया गया है, जैसे कि ऊपर वर्णित एक ने उसे अनुरोध की गई राहत से वंचित करने के लिए। बर्ड मामले [(2007) 5 एस. सी. सी. 336: (2007) 2 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 152] पर निर्भरता, इसलिए, प्रत्यर्थी के लिए कोई सहायता नहीं है।

महाराष्ट्र राज्य बनाम संजय के. निमजे [(2007) 14 SCC 481: (2009) 1 SCC (L & S) 519] में इस न्यायालय का निर्णय उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया था, यहां तक कि V.S द्वारा भी प्रतिष्ठित किया गया था। सिरपुरकर, जे. विलास मामले में [(2008) 14 एससीसी 545: (2009) 2 एससीसी (एल एंड एस) 143]। यह अंतर मुख्य रूप से इस संदर्भ में है कि क्या नियुक्ति या प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवार को ऐसे आचरण का दोषी पाया जाता है जो उसे न्यायालय की असाधारण शक्तियों के तहत किसी भी राहत का दावा करने से वंचित कर देगा। इस न्यायालय ने पाया कि यदि कोई व्यक्ति झूठे प्रमाणपत्र के आधार पर नियुक्ति या प्रवेश प्राप्त करता है, तो वह अपने द्वारा प्राप्त उक्त लाभ को अपने पास नहीं रख सकता है। अदालतें प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर देंगी।

निमजे मामले [(2007) 14 एस. सी. सी. 481: (2009) 1 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 519] में निर्णय का निम्नलिखित अंश उपयुक्त हैः (SCC p. 487, para 18)

> ***"18. ... इस प्रकार की स्थिति में, क्या न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपनी विवेकाधीन अधिकारिता का प्रयोग करने से इनकार करेगा या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। मामले के इस पहलू पर हाल ही में इस न्यायालय द्वारा संदीप सुभाष पराटे बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2006) 7 एससीसी 501] में विचार किया गया है।***

उपरोक्त मामले को लागू करते हुए हम यह अभिनिर्धारित करने का कोई कारण नहीं देखते हैं कि अपीलार्थी ने केवल एक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के मामले में अवांछित लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति होने के विवरणों को गढ़ा या गलत साबित किया था। अतः ऐसा कोई कारण नहीं है कि निष्कासन के विरुद्ध संरक्षण का लाभ सामान्य शर्त के अधीन रहते हुए उसे नहीं दिया जाना चाहिए कि अपीलार्थी को सेवा से निष्कासित नहीं किया जाएगा और यदि पहले ही निष्कासित कर दिया गया है तो उसे बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन वह उस प्रमाणपत्र के आधार पर किसी और लाभ की हकदार नहीं होगी जो उसने प्राप्त किया है और जो जांच समिति द्वारा इसके जारी होने के 10 वर्ष बाद रद्द कर दिया गया था।

परिणामस्वरूप , हम इस अपील की अनुमति देते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार करते हैं और ऊपर उल्लिखित शर्त के अधीन अपीलार्थी को सेवा में बहाल करने का निर्देश देते हैं। हम आगे निर्देश देते हैं कि उस अवधि के लिए

अपीलार्थी ने उस संस्था की सेवा नहीं की है जो एक सहायता प्राप्त विद्यालय है, वह किसी भी वेतन/वापस मजदूरी का दावा करने की हकदार नहीं होगी। हालाँकि, वह अन्य सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए सेवा की निरंतरता की हकदार होगी। प्रत्यर्थी इस आदेश की तारीख से एक महीने के भीतर आवश्यक कार्य करेगा। पार्टियों को अपना खर्च खुद वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

Translated by:
Pratik Kumar